न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

आदेश

वाद सं० एम० 139 / 2022–23
धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता

प्रथम पक्ष.......... योगेश्वर सिंह .... वगैरह
बनाम
द्वितीय पक्ष .... जेम्स बारला .... वगैरह

24.2.23

वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्रथामिकी संख्या 135 / 2022 दिनांक 04.12.2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है **प्रथम पक्ष** :– (1) योगेश्वर सिंह उम्र करीब 42 वर्ष (2) देवकुमार सिंह उम्र करीब 46 वर्ष (3) पंचम सिंह उम्र करीब 46 वर्ष, सभी पिता – स्व० योगेन्द्र सिंह, सा० – रायबा, थाना– कामडारा, जिला– गुमला **बनाम :द्वितीय पक्ष** :– (1) जेम्स बारला उम्र 62 वर्ष पिता– स्व0 बिनेदिक बारला (2) कुलदीप बारला उम्र करीब 20 वर्ष पिता– जेम्स बारला (3) बहुरा सिंह उम्र करीब 38 वर्ष पिता– स्व० बलदेव सिंह (4) बहरू सिंह उम्र करीब 50 वर्ष (5) जुरन सिंह उम्र करीब 35 वर्ष (6) बिरसा सिंह उम्र करीब 40 वर्ष (7) बंधनु सिंह उम्र करीब 45 वर्ष दोनों के पिता– मुसकू सिंह, सा० – चदनटोली थाना– बानो जिला– सिमडेगा के बीच मौजा– रायबा के खाता सं0 57 / 58 प्लॉट सं० 1155, 1159, 1175, 1301, 1303, 1336, 267, कुल रकबा 3.71 ए0 पर दोनों पक्षों में आपसी विवाद है। जिसको लेकर उभय पक्षों के बीच शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो सकती है। थाना प्रभारी कामडारा के प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है।

प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एंव दाखिल कागजात :–

प्रथम पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया, परन्तु प्रथम पक्ष के द्वारा विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से कारण पृच्छा दाखिल नहीं किये।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एवं दाखिल कागजात :–

द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया, परन्तु द्वितीय पक्ष के द्वारा विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से कारण पृच्छा दाखिल नहीं किये।

निष्कर्ष

वाद्‌गत भूमि थाना पालकोट मौजा– रायबा के खाता सं0 57 / 58 प्लॉट सं० 1155, 1159, 1175, 1301, 1303, 1336, 267, कुल रकबा 3.71 एकड़ जमीन से संबंधित है। उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से कारण पृच्छा दाखिल नहीं किये। इससे यह प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को इस वाद में कोई भी अभिरूची नहीं है। वर्तमान में वादग्त भूमि को लेकर शांति भंग होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। अतः समयावधी बीत जाने के कारण वाद की कार्यवाही बिना गुण–दोष के समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.09.23 15:27:03 +05:30
Location: 192.168.1.4

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

24.2.23.

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।